International Journal of Advanced Innovation and Research
Vol 2, Issue 7, July 2024
Impact Factor 5.573
ISSN: 2584-2129

INTERNATIONAL JOURNAL OF
ADVANCED INNOVATION AND RESEARCH
journal homepage: www.ijair.in

महिला सशक्तिकरण और ग्राम पंचायत व्यवस्था

डॉ. सत्यदेव सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, जनता वैदिक कॉलेज, बड़ौत बागपत (उ.प्र.)

कपिला
पी.एच.डी शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग, जनता वैदिक महाविद्यालय, बड़ौत, बागपत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, उ.प्र.

Keywords

महिला सशक्तिकरण, ग्राम पंचायत व्यवस्था, संवैधानिक अधिनियम, महत्व, महिलाएं, आरक्षण, विकास, आत्मविश्वास, भूमिका।

ABSTRACT

प्राचीन समय से ही भारत में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। महिलाएं किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो उनकी भागीदारी एवं अनिवार्यता और अधिक बढ़ जाती है। महिलाओं का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण एवं बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्रीय विकास तथा राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का समग्र विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान एवं पद दिया जाए।

वर्तमान में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। सरकार भी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम समय-समय पर उठा रही है। जिनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है - ग्राम पंचायत व्यवस्था। जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण को और अधिक बढ़ावा मिला है।

खास तौर पर भारत जैसे देश में, जिसमें 65% से अधिक आबादी गांव में निवास करती है, पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार का एक रास्ता खुल गया है। जिससे महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास संभव हुआ है।

प्रस्तावना:

भारत गाँवों का देश है। प्राचीन काल से ही यहाँ ग्रामीण विकास पंचायत आधारित रहा है ताकि गाँव के लोग अपने शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्वयं संभालते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं बनाएं और उन्हें क्रियान्वित करें, जिससे गाँव लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बन सकें। लेकिन पंचायतें गठित कर देने से ही जनता की समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए पंचायतों को पर्याप्त अधिकार एवं शक्ति सम्पन्न बनाया जाना चाहिए। जिससे लिए भारत में समय-समय पर अनेक समितियाँ गठित की गईं, जिनके परिणामस्वरूप 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 लागू किया गया। जिसके तहत पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) अपनाया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत व्यवस्था में पहली बार महिलाओं को एक तिहाई अर्थात 33% आरक्षण दिया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था।

पंचायती राज का अर्थ:
पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द "पंचायतम्" से हुई है। जिसका अर्थ पाँच व्यक्तियों का समूह है। गांधी जी ने भी पंचायत का शाब्दिक अर्थ गाँव के लोगों द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्तियों की सभा से लिया है। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में पंचों को चुना जाता है जोकि गाँव में छोटे-मोटे झगड़ों और विवादों को सुलझाते हैं। इसलिए उन्हें न्याय पंचायत भी कहा जाता है। आज भी अधिकतर गाँवों में बड़े बुजुर्ग को आम बोलचाल की भाषा में पंच ही कहा जाता है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ:
सशक्तिकरण का अर्थ किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें योग्यता आ जाती है कि वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण भी इसी क्षमता की बात करता है कि महिलाएं परिवार और समाज की बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय की निर्माता बन सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा महिला दिवस पर कहा गया मार्मिक वाक्य "देश की तरक्की के लिए पहले हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा।" राष्ट्र विकास में महिलाओं की सच्ची महत्ता और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मदर डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) आदि कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का सही अर्थ तभी संभव हो पाएगा, जब वह समानता स्तर बढ़े, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें।

शोध लेख के उद्देश्य:
• महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का अध्ययन करना।
• ग्राम पंचायत व्यवस्था की अवधारणा का अध्ययन करना।
• महिला सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायत व्यवस्था के योगदान का अध्ययन करना।

शोध-प्रविधि:
शोध प्रविधि वह साधन है जिसके माध्यम से शोध के लिए आवश्यक वास्तविक तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों का संकलन किया जाता है। शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा शोध की सही दिशा देने हेतु एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति को चुनना जरूरी होता है। प्रस्तुत शोध लेख में ऐतिहासिक विश्लेषण तथा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसके साथ-साथ शोध लेख के लिए द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकें, शोध लेख, समाचार-पत्र, लघु शोध प्रबंध, इंटरनेट, सरकारी एवं गैर सरकारी रिपोर्ट इत्यादि शामिल हैं।

शोध साहित्य की समीक्षा:

प्रस्तुत शोध से संबंधित महत्वपूर्ण पूर्व के शोध साहित्य की कुछ समीक्षाएं इस प्रकार हैं:—

• कौशिक, सुशीला (1993) वुमेन एंड पंचायती राज पुस्तक में लेखिका ने पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी संबंधी अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसमें 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए किए गए एक तिहाई स्थानों के आरक्षण के प्रावधान के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

• राठौर, मधु (2002) पंचायती राज और महिला विकास में महिलाओं पर किए अपने अध्ययन में भारत में पंचायती राज की दशा और दिशा एवं महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति आदि के अपने अध्ययन से निम्न निष्कर्ष निकाला है कि राजनीतिक अधिकार, सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं के चलते अब महिलाओं में जागृति व चेतना आ रही है।

• महीपाल (2013), पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं पुस्तक में लेखक ने पंचायती राज तथा उसके सामने मौजूद चुनौतियों एवं संभावनाओं की चर्चा करते हुए उनका समाधान खोजने एवं ग्रामीण विकास में सहायता का वर्णन किया है। इन अध्यायों में विभाजित करके 73वें संविधान संशोधन की समीक्षा, चुनौतियों के

समाधान का वर्णन किया है।

महिला सशक्तिकरण और ग्राम पंचायत व्यवस्था:

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है। किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। इसी रूप में आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने क्रांति और अहिंसा दोनों रास्तों पर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया। जिनमें आजाद हिंद सेना की कप्तान लक्ष्मी सहगल, कस्तूरबा गांधी, कादम्बिनी गांगुली, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, रानी लक्ष्मी बाई आदि का नाम उसी सम्मान के साथ लिया जाता है जैसे अन्य पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों का। इसी समय में स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने भी महिलाओं की स्थिति सुधार का प्रयास किया। इन सभी के प्रयास के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने भेदभाव रहित लोकतंत्र की रचना की जिसमें समानता के सिद्धांत को सर्वोपरि रखा गया। महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्र भारत के संविधान में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने का प्रावधान किया गया था जो इस प्रकार है|

1. संविधान की प्रस्तावना में हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता बिना किसी भेदभाव के प्रदान की गई है।
2. नागरिकता अधिकार, 1956 (अनुच्छेद 5-11) के अंतर्गत इन समस्त व्यक्तियों को (महिला-पुरुष) के जन्म में अनुच्छेद 3 अथवा पंजीकरण द्वारा अनुच्छेद 5 अथवा वंश अनुच्छेद 4 द्वारा भारतीय नागरिकता उपलब्ध कराई जाती है। पुरुष और महिला दोनों को ही अपनी नागरिकता बदलने का अधिकार मौलिक अधिकार (12-35) महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक (महिला/पुरुष) को प्रदान किए गए हैं। जिसमें अनुच्छेद-15 में धर्म, वंश, जाति, जन्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है।
3. ज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 36-51) के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है।

लेकिन संविधान में किए गए इन सभी प्रावधानों के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर नगण्य ही रही। महिला सशक्तिकरण को जो सपना लेकर ये सभी प्रावधान किए गए थे, वह सपना पूरा नहीं हो सका।

अतः महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए 1991 में पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में पंचायती राज से संबंधित 73वां संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया।

जिसके तहत संविधान में भाग IX में अनुच्छेद 243 (क-ओ) के अंतर्गत पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया, जिसमें 11वीं अनुसूची एवं 29 विषय शामिल किए गए।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1996 के तहत भारत में पहली बार निम्न स्तर पर अर्थात स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी देने से महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया था।

जिससे महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच को बदलना, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए तत्पर करना एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास करने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। पंचायत राज में आरक्षण का प्रावधान करने से महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ने लगी। महिलाएं अपने हक की आवाज उठाने लगीं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगीं, ऐसा पूर्व के हर अध्ययन से सामने आया है।

अतः पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण के इस दौर में महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पंचायतों के माध्यम से बढ़ते महिला सशक्तिकरण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को प्राप्त 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है।

1	**आंध्र प्रदेश**	**5**	**छत्तीसगढ़**	**9**	**कर्नाटक**	**13**	**पंजाब**
2	महाराष्ट्र	6	गुजरात	10	केरल	14	राजस्थान
3	असम	7	हिमाचल प्रदेश	11	मध्य प्रदेश	15	सिक्किम
4	बिहार	8	झारखंड	12	ओडिशा	16	तमिलनाडु
17	तेलंगाना	18	त्रिपुरा	19	उत्तराखंड	20	प. बंगाल
21	हरियाणा						

Source: Ministry of Panchayati Raj

पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में निरंतर बदलाव एवं सुधार आ रहे हैं। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। इनमें से 14 लाख से भी अधिक महिलाएं हैं, जो कुल निर्वाचित सदस्यों का 46.144 से भी अधिक हैं।

चुनौतियाँ:

ग्राम पंचायत व्यवस्था के माध्यम से बढ़ते महिला सशक्तिकरण के सामने आज भी अनेक चुनौतियाँ खड़ी हैं, जो हैं:—

1. आज भी पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं की जगह उनके पिता, पति, पुत्र या रिश्तेदार ही उनकी भूमिका निभाते नजर आते हैं।
2. महिलाओं को स्वयं की कम रुचि एवं पूर्ण जानकारी एवं जागरूकता न होना।
3. महिलाओं का कम पढ़ा-लिखा होना।
4. ग्रामीण स्तर पर आज भी पुरुष वर्चस्व होना एवं इसके साथ सामाजिक बंधनों का होना जैसे पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, महिलाओं को घर से बाहर न निकलने देना इत्यादि।
5. महिला द्वारा स्वयं निर्णय न लेना आदि आत्म विश्वास की कमी एक बड़ी चुनौती है।

सुझाव:

महिला सशक्तिकरण के सामने खड़ी चुनौतियों को दूर करने के कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:—

1. सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए।
2. सरकार द्वारा महिला प्रतिनिधियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
3. महिलाओं में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए उन्हें किसी प्रतिष्ठित एवं आत्मविश्वासी महिलाओं से रूबरू करवाना चाहिए।
4. निर्णय निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
5. किसी के दबाव में आए बिना अपनी पहचान बनाते हुए स्थानीय स्तर पर विकास के लिए चल रही समस्त योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए।

निष्कर्ष:

अतः निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत व्यवस्था के माध्यम से महिला सशक्त हुई हैं। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ी है। ग्राम पंचायत में दिए आरक्षण से न केवल महिलाएं सशक्त हुई हैं, बल्कि महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक अर्थात सर्वांगीण विकास के नए रास्ते खुले हैं और वर्तमान में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी बढ़त कर भूमिका निभाई है। परंतु अभी भी महिलाएं इतनी सशक्त नहीं हुई हैं कि ग्राम पंचायत व्यवस्था में अपनी शानदार एवं जोरदार भूमिका निभा सकें। इसके लिए जरूरी है कि महिलाएं निडर होकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. द्विवेदी, रेशमा प्रसाद (2016) भारत में महिला सशक्तिकरण: अवधारणा व मुद्दे, ग्रामीण विकास समीक्षा महिला सशक्तिकरण विशेषांक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद, अंक-57,

जनवरी-जून, पृ.-91
2. सिंह, दलीप (2016), "सत्ता का विकेन्द्रीकरण एवं महिला सशक्तिकरण और चुनौतियाँ" पूर्वांक, पृ. 57
3. दत्त, लक्ष्मी (2014), "पंचायती राज - भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था", कुरुक्षेत्र, जनवरी, पृ.-1
4. जाट, सीमा (2016), "महिला सशक्तिकरण एक पहल" पूर्वांक, पृ.-171
5. कौल, लोकेश (2020), "शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली", विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि., नई दिल्ली, पृ.-116
6. द्विवेदी, रेशमा प्रसाद, पूर्वांक, पृ.-95-97
7. जांग, ए.एस. (2011) "भारतीय शासन एवं राजनीति" नीतिराज पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 201-203

8.8-hitp3;//blog,knilter.co.in/category/rural/development panchayat-raj, vfHkxeu&22 flrEcj 2020]